भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1937
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन में अनियमितताएँ

1937. श्री राकेश राठौरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल का जल उपलब्ध कराने की योजनाओं में भ्रष्टाचार, लागत में वृद्धि, घटिया निर्माण और ठेके में अनियमितताओं के संबंध में कई राज्यों से शिकायतें मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी की जलापूर्ति अनियमित हो रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन जिलों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या कितनी है जहाँ सरकार द्वारा 119 केंद्रीय नोडल अधिकारी तैनात किए गए थे तथा उनके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे;
(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों के आधार पर जिम्मेदार पाए गए ठेकेदारों या अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई की है; और
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में नागरिक शिकायत तंत्र को मजबूत करने और एक मजबूत नियामक प्रणाली लागू करने के लिए किसी नीतिगत प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, सवालों/शिकायतें आदि, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* जेजेएम के तहत भ्रष्टाचार, घटिया कार्य और वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कार्यशीलता मूल्यांकन, राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों द्वारा जमीनी वास्तविकता का पता लगाने, शिकायतकर्ता से कॉल-आधारित फीडबैक लेने, राष्ट्रीय टीमों द्वारा क्षेत्र दौरे, बैठकों में स्थिति की समीक्षा आदि जैसे कई उपाय करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का समाधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने अभिचिह्नित जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनाओं के जमीनी निरीक्षण के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए हैं। केंद्रीय नोडल अधिकारियों के दौरों और उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य वर्तमान में चल रहा है।

*****